न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 24/2020 **दायरा दिनांक : 06.07.2020**

उनवान

मोहनलाल आत्मज रामप्रसाद, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– दुलीचन्द आत्मज मगन, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2– नारायण लाल आत्मज दुलीचन्द, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
3– कंवरलाल आत्मज मगन, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
4– नारायण लाल आत्मज शिवलाल, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
5– कालूराम आत्मज शिवलाल, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
6– बाल मुकन्द आत्मज गोपाल, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़
8– नानी बाई पत्नी रामकरण, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
9– रामकरण आत्मज गोपाल, जाति कुल्मी, निवासी ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 4, 5, 6, 8, 9 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 18.09.2023**

1– अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.02.2020 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी जिससे वाद संख्या 36/इजराय/2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2— अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद प्रतिवादीगण दुलीचन्द वगैरहा एवं अन्य नौ व्यक्तियों के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 29.06.2017 को वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया गया एवं माननीय न्यायालय की डिक्री के पालना हेतु प्रार्थी ने इजराय प्रस्तुत कर रखी है।

3— माननीय न्यायालय द्वारा लगभग सात बार पालना के लिये आदेशित किया गया किन्तु इसके बावजूद भी तहसील कार्यालय से प्रार्थी की डिक्री की पालना प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में पालना के लिये कहने पर हल्का पटवारी व कानूनगो प्रार्थी से अकारण ही नाराज हो रहे हैं और कहते हैं कि एस. डी. एम. साहब से ही जमीन नपवा ले तथा जमीन नापने में नित नये बहानेबाजी कर प्रार्थी का कार्य नहीं होने दे रहे हैं। प्रार्थी के कार्य में हो रही देरी का फायदा उठाते हुए रामकरण आत्मज गोपाल प्रतिवादी ने विवादित भूमि को वादी की है उसमें 20—25 ट्रोली पत्थर डाल दिये हैं जब प्रार्थी ने मना किया तो रामकरण ने कहा कि मुझे तो पटवारी व कानूनगो ने कहा है इसलिए मैं तो पत्थर डालूंगा।

4— अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हल्का पटवारी व कानूननगो जानबूझ कर माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने में देरी कर रहे हैं तथा नित नये बहानेबाजी कर रहे हैं एवं प्रतिवादीगण को क्षय दे रहे हैं इसलिए अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना प्रभावी रूप से करवाने की कृपा करें।

5— वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1020/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़ की पैमाईश करवाने तथा बाद पैमाईश यदि प्रतिवादी का आराजी पर कब्जा पाया जावे तो प्रतिवादी को आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे व प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

6— अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मोहनलाल की ओर से वकील श्री हेमराज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शा0 फा0 किया गया। तहसील से पालना रिपोर्ट अप्राप्त। पैरोकार सरकार को पाबन्द किया गया। अतः पत्रावली में आदेश पैरोकार सरकार को दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट पेश करें यदि विवादित आराजी रास्ते की लैण्ड पायी जावे तो नियमानुसार रेफरेन्स तैयार कर सक्षम न्यायालय में पेश करे। पत्रावली दिनांक 11.03.2020 को पेश हो।

7— इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है।

8— **अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत दिनांक 26.02.2020 को विवादित आराजी के मामले में मुताबिक डिक्री की पालना नहीं करवाकर सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स तैयार कर पेश करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है, जो कानूनी प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है।**

9— अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 118/दावा/16 बउनवान मोहनलाल बनाम दुलीचन्द दिनांक 29.06.2017 को डिक्री कर निर्णय पारित किया था कि आराजी खसरा संख्या 1020/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड की पैमाईश हेतु

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अतिरिक्त संभाग आयुक्त, कोटा

तहसील पचपहाड पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की एक टीम गठित कर पैमाईश करवाये बाद पैमाईश प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त निर्णय के मुताबिक इजराय में मुताबिक डिक्री पालना करवाया जाना चाहिए। कानूनन निष्पादन न्यायालय डिक्री से परे कोई आदेश पारित नहीं कर सकता।

10— वाद में वर्णित खसरा नम्बर 1020/2 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी अपीलांट को दिनांक 15.07.86 को विधिवत रूप से आवंटन की गई थी तद्नुसार गैर खातेदारी व बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, परन्तु कुछ भूमि पर प्रतिपक्षीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया इसलिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बेदखली का वाद पेश किया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया था।

11— अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। भूमि की पैमाईश केवल पटवारी व आई.एल.आर. के द्वारा अपीलांट की गैर मौजूदगी में प्रतिपक्षीगण से मिलकर की गई और गलत तौर से उन्होंने पैमाईश कर दी जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

12— विवादित आराजी अपीलांट को आवंटित आराजी है। जिसका अपीलांट वैधानिक रूप से खातेदार है एवं काबिज रहने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिपक्षीगण ने पूर्व में भी आवंटित आराजी के मामले में आवंटन आदेश में पता नहीं किस तरह हेर—फेर कर दी थी, खसरा नम्बर 1020 को 1021 बना दिया गया था इसके खिलाफ अपीलांट द्वारा कार्यवाही करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 16.11.90 को आदेश पारित किया कि प्रार्थी को आवंटित खसरा नम्बर 1020 भूमि का ही पट्टा जारी किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में अमल किया जावे, इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया।

13— वाद में वर्णित खसरा नम्बर 1020/2 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी अपीलांट को दिनांक 15.07.86 को विधिवत रूप से आवंटन की गई थी तद्नुसार गैरखातेदारी व बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये परन्तु कुछ भूमि पर प्रतिपक्षीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया इसलिये अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बेदखली का वाद पेश किया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया था।

14— अपीलांट मुताबिक निर्णय एवं डिक्री की पालना में मुताबिक डिक्री पैमाईश करवाकर प्रतिपक्षीगण को बेदखल करवाकर अपीलांट कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय को डिक्री से परे पालना करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

15— अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.02.2020 निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जावे कि वह मुताबिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 तहसीलदार, पटवारी व आई. एल. आर. तीनों की कमेटी बनाकर दोनों पक्षकारान की मौजूदगी में खसरा नम्बर 1020 की 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी की निश्चित बिन्दु से पैमाईश कराकर डिक्री अनुसार पालना करें। रेस्पोडेंट का कब्जा पाया जावे तो उन्हें बेदखल कर कब्जा आराजी दिलवाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16— अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

17— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यह अपील अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के आदेश दिनांक 26.02.2020 जो प्रकरण संख्या 36/इजराय/17 में पारित किया गया है, के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश की गई है।

18— अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 92(ए), 183, 209 आर.टी. एक्ट के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध पेश किया गया था। वाद के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट/वादी के खाते में ग्राम गुराडिया, तहसील पचपहाड में कुल 8 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है, उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 1020/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का विवाद है, जिसे वादग्रस्त आराजी सम्बोधित किया गया है।

19— उक्त आराजी का वादी एक मात्र खातेदार टीनेन्ट है, उक्तें आराजी पर करीब 8 माह पूर्व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने जबरन कब्जा कर लिया, जिस पर वादी ने वादग्रस्त आराजी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 24.07.2010 को हल्का पटवारी ने पैमाइश की जिसमें प्रतिवादीगण का वादी के खाते कब्जे की आराजी पर कब्जा पाया गया। वादी को उसके खातेदारी की भूमि में काश्त करने से जबरन रोक रहे हैं, इसलिए वादी ने निवेदन किया कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के विरूद्ध मय खर्चा डिक्री फरमाया जाकर ग्राम गुराडिया जोगा की संवत 2063—2066 की जमाबंदी संख्या 362 के खसरा नम्बर 1020/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का नाजायज कब्जा है एवं अनाधिकृत जमीन का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। हर्जाना भी वादी को दिलवाया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी पर मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

20— अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प गुराडिया जोगा पर दिनांक 29.06.2016 को रखा गया, पक्षकारों के अनुपस्थित रहने से प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प गुराडिया जोगा पेरं रखा गया, किन्तु बाद सूचना वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 14.07.2016 को खारिज किया गया। प्रकरण को पुनः दिनांक 19.09.2016 को नम्बर पर लिया गया।

21— प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 01.12.2016 को एवं प्रतिवादी कम 6 के विरूद्ध 22.02.2017 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। उसी दौरान राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 चलाया गया, प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प गुराडिया जोगा पर 29.05.2017 को रखा जाकर वादी एवं प्रतिवादी को जर्ये नोटिस उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हुए सुना गया,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि पैमाईश की हमें कोई सूचना नहीं दी। पुनः पैमाईश करवायी जावे यदि वादी की भूमि पर कब्जा पाया जावेगा तो छोड़ने को तैयार है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के निवेदन पर एक टीम गठित करवाते हुए वादग्रस्त आराजी की पुनः पैमाईश हेतु आदेश पारित कर दिया और निर्णय एवं डिक्री जारी की :–

22– अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1020/2 रकबा 3.10 बीघा वाके ग्राम गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड़ की पैमाईश हेतु तहसीलदार पचपहाड़ पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की एक टीम गठित कर पैमाईश करवाये बाद पैमाईश यदि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा पाया जावे तो प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे। कब्जा संभलाने के बाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत नहीं किये जाने से पाबन्द रहेगे। पर्चा डिक्री जारी हो खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

23– अपीलांट के द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 के आधार पर डिक्री की पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2017 को पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कई पत्र पालना बाबत लिखे गये, परन्तु अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा विवादित मामले में डिक्री की पालना नहीं कर अनावश्यक पत्राचार करते हुए व अनावश्यक मार्गदर्शन चाहते हुए, व अनावश्यक आपत्तियां लगाते हुए डिक्री की पालना नहीं की और अन्त में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.02.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, इसलिए आदेश दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

24– पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1020/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वादी के खाते की आराजी है और उक्त आराजी के मामले में डिक्री दिनांक 29.06.2017 के मुताबिक पैमाईश हेतु तहसीलदार पचपहाड़, पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की एक टीम गठित कर पैमाईश करने का आदेश डिक्री में दिया गया था परन्तु उक्त डिक्री को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील दिनांक 26.02.2020 पारित करने में त्रुटि की है।

25– विवादित मामले में डिक्री के मुताबिक भूमि की पैमाईश पटवारी व आई.एल.आर. के द्वारा अपीलांट की गैर मौजूदगी में प्रतिपक्षीगण से मिलकर के की गई, तहसीलदार द्वारा स्वयं को कमेटी में शामिल नहीं किया गया एवं अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अनावश्यक पत्राचार कर डिक्री की पालना नहीं करने में त्रुटि की है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया और निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो अवैधानिक है।

26– विवादित आराजी 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी अपीलांट को आवंटित आराजी है जिसका अपीलांट वैधानिक रूप से खातेदार है। प्रतिपक्षीगण ने पूर्व में भी उक्त आराजी के मामले में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आवंटन आदेश में पता नहीं किस तरह हेर–फेर करवा दी। खसरा नम्बर 1020 को 1021 बना दिया गया। अपीलांट के द्वारा कार्यवाही करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 16.11.90 को आदेश पारित किया कि प्रार्थी को आवंटित खसरा नम्बर 1020 की भूमि पर ही पट्टा जारी किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में अमल किया जावे। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया।

27– आवंटित 1020 नम्बर की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ही अपीलांट को खातेदारी में दी गई और 1020 की भूमि पर ही नक्शे में तरमीम की गई, परन्तु अवैधानिक रूप से 1020 के नक्शे कट लगाकर दक्षिण तरफ 1 गैर कानूनी रूप से लिख दिया गया, जिसको रेस्पोडेंट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

28– निष्पादन न्यायालय का दायित्व है कि डिक्री का निष्पादन डिक्री के मुताबिक करवाया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री का निष्पादन डिक्री के मुताबिक नहीं करवाकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशिका दिनांक 01.08.2019 को भी डिक्री से परे मनमाने रूप से आदेश पारित किया था। उसकी पालना में दिनांक 26.02.2020 तारीख पेश नियत की गई थी, उक्त दिनांक को तहसील से कोई पालना रिर्पोट प्राप्त नहीं हुई और दिनांक 26.02.2020 को आदेश पारित कर दिया कि विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट पेश करें। यदि विवादित आराजी रास्ते की लैण्ड पाई जावे तो नियमानुसार रेफरेन्स तैयार कर सक्षम न्यायालय में पेश करें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा डिक्री के मुताबिक डिक्री की पालना नहीं करवाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

29– अपीलांट को आवंटित भूमि रास्ते की भूमि नहीं है। आवंटन प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.05.86 एवं आदेश में भी बारानी प्रथम अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना आधार के डिक्री की पालना नहीं कर निर्णय जैर अपील पारित किया जो अवैधानिक है।

30– निष्पादन न्यायालय का दायित्व है कि डिक्री के मुताबिक डिक्री की पालना करें। निष्पादन न्यायालय इससे बाहर नहीं जा सकता। यदि डिक्री से आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में प्रावधान है। नजीर आर.आर.टी. 2013(2) पेज 822 पर प्रतिपादित किया है।

31– इजराय याचिका में पारित आदेश के विरूद्ध आदेश धारा 225 के अन्तर्गत अपील योग्य है। जैसा की नजीर आर.आर.टी. 2022 पेज 1051 पर प्रतिपादित किया गया है।

32– अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.02.2020 निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जावे कि वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 के मुताबिक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विवादित आराजी के मामले में डिक्री में वर्णित अनुसार कमेटी गठित कर एवं दोनों पक्षों की मौजूदगी में पैमाईश कर डिक्री की पालना करवाये एवं अन्य सहायता प्रदान की जावे।

33— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में नजीर आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 31 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

34— हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

35— इस प्रकरण में अपीलांट वादी द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2017 की पालना हेतु प्रस्तुत प्रकरण संख्या 36/इजराय/2017 की कार्यवाही के दौरान न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2020 को न्यायालय की ऑर्डरशीट पर पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 29.06.2017 की पालना हेतु प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित नहीं किया है, प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पेज 1051 इस प्रकरण पर चस्पा होना नहीं पाया जाता है। यह न्यायिक दृष्टांत इजराय की पालना हेतु प्रस्तुत आवेदन पर जारी अंतिम आदेश के कम में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2020 अंतरिम आदेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के पठन से यह विदित है कि तृतीय अनुसूची के भाग 2 में कम संख्या 35 क से 85 तक में इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन दिये जाने वाले आवेदनों की सूची दी गई है। इन आवेदनों पर दिये गये अंतिम आदेशों की अपील होगी, अंतरिम या अंतिम आदेशों की नहीं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 26.02.2020 को पारित आदेश डिक्री की पालना हेतु प्रस्तुत विचाराधीन इजराय आवेदन के कम में पारित एक अंतरिम आदेश है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

36— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/09/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा